प्रेस नोट पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद दिनांक 11.10.2025

थाना कौशाम्बी पुलिस टीम द्वारा नौकरी दिलाने के नाम पर कूटरचित नियुक्ति पत्र तैयार कर धोखाधड़ी करने वाला 01 अभियुक्त गिरफ्तार।

कार्यवाही का विवरणः- दिनांक 09.10.2025 को थाना कौशाम्बी पर वादी विकास चौधरी द्वारा लिखित तहरीर दी कि अभियुक्त बिजेन्द्र भारतीय पुत्र फकीर चन्द्र द्वारा एसबीआई बैंक शाखा वैशाली में ग्राहक मित्र (MAY I HEHP YOU) के पद पर नियुक्ति कराने के नाम पर धोखाधड़ी करके फर्जी इंटरव्यू कराकर कूटरचित जोइनिंग लैटर देकर 50,000/- रुपये लेकर नौकरी न दिलाने के सम्बन्ध में वादी की प्राप्त तहरीर के आधार पर धारा 318(4), 336(3), 338, 340(2), 61 (2) बीएनएस के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया। विवेचनात्मक क्रम में बिजेन्द्र भारतीय को थाने बुलाकर पूछताछ करते हुए साक्ष्य संलकन कर अभियुक्त बिजेन्द्र भारतीय पुत्र फकीर चन्द निवासी 467 संजय कॉलोनी थाना साहिबाबाद गाजियाबाद उम्र करीब 46 वर्ष को थाने पर ही दिनांक 10.10.2025 को पुलिस हिरासत में लिया गय़ा। गिरफ्तार अभियुक्त बिजेन्द्र भारतीय उपरोक्त के विरुद्ध पंजीकृत अभियोग के अन्तर्गत आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरणः- गिरफ्तार अभियुक्त बिजेन्द्र भारतीय उपरोक्त से पूछताछ करने पर यह तथ्य प्रकाश में आये कि अभियुक्त का नवयुग मार्केट पुराने बस अड्डे के पास हॉट सिटी प्लेसमेंट सर्विस के नाम से ऑफिस है, जहाँ अभियुक्त नौकरी दिलाने के नाम पर लोगों से पैसे लेता है तथा पैसा लेने के लिये अपने साथी दिव्यांशु को भेजता है। उसके बाद दिव्यांशु और अभियुक्त फर्जी इन्टरव्यू लेकर कूटरचित नियुक्ति पत्र देते हैं। धोखाधड़ी कर मिले हुए रुपयों को दोनों आपस में बाँट लेते हैं। इसीक्रम में वादी विकास से भी दोनों ने नौकरी दिलाने के नाम पर फर्जी इंटरव्यू व कूटरचित नियुक्ति पत्र देकर 50,000/- रुपये लिये थे।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पताः-

बिजेन्द्र भारतीय पुत्र फकीर चन्द निवासी 467 संजय कॉलोनी थाना साहिबाबाद गाजियाबाद उम्र करीब 46 वर्ष।

गिरफ्तार अभियुक्त का आपराधिक इतिहासः-

गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध थाना कौशाम्बी पर कूटरचित नियुक्ति पत्र तैयार कर धोखाधड़ी करने के सम्बन्ध में 01 अभियोग पंजीकृत है। अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

थाना कौशाम्बी पुलिस टीम।

थाना लिंकरोड पुलिस टीम द्वारा हत्या की घटना कारित करने वाला 01 अभियुक्त व 01 अभियुक्ता गिरफ्तार, कब्जे से मृतक का मोबाइल फोन बरामद ।

कार्यवाही का विवरण:- दिनांक 08.10.2025 को थाना लिंकरोड पर वादी बृजपाल सिंह पुत्र गोपाल सिंह निवासी ग्राम आजमगढ़ उर्फ रतनगढ़ थाना शिवाला कला जिला बिजनौर ने लिखित तहरीर दी और बताया कि मेरे भाई योगेश पुत्र स्व0 गोपाल निवासी ग्राम आजमगढ उर्फ रतनगढ थाना शिवाला कला जनपद बिजनौर हाल निवासी – सरस्वती कालोनी ग्राम साहिबाबाद थाना लिंकरोड गाजियाबाद उम्र करीब 34 वर्ष की पत्नी पूजा के आशीष पुत्र उपेंद्र सिंह से अवैध संबंध थे। जिसका मेरे भाई योगेश ने विरोध किया अवैध संबंधों के चलते पत्नी पूजा और आशीष व उसके दोस्त चंद्रपाल ने मिलकर मेरे भाई की हत्या कर शव को पिलखुवा के जंगल में फैक दिया और गुमराह करने के लिए दिनांक 02.10.2025 को थाना लिंकरोड पर योगेश के गुमशुदा होने की झूठी गुमशुदगी दर्ज करा दी और बताया कि दिनांक 24.09.2025 को मेरे पति योगेश से फोन के द्वारा बात हुई और बताया कि में अपना मोटर साइकिल से हापुड़ जा रहा हूँ, जिसके बाद मेरे पति का मोबाइल फोन लगातार बन्द जा रहा है। उपरोक्त घटनाक्रम में थाना लिंकरोड़ पुलिस टीम द्वारा थाना पिलखुआ क्षेत्र में सरस्वती मेडिकल कालेज पिलखुआ हापुड के पास जंगल से मृतक योगेश के बरामद शव का कंकाल, टी शर्ट व मोटर साइकिल से मृतक योगेश की पहचान हुई। जिसके क्रम में आज दिनांक 11.10.2025 को थाना लिंकरोड़ पुलिस टीम द्वारा वादी के भाई की हत्या की घटना कारित करने वाला 01 अभियुक्त आशीष पुत्र उपेन्द्र सिंह निवासी ग्राम दौरऊ थाना डिबाई जिला बुलंदशहर हाल पता सर्वोदय नगर कस्बा व थाना पिलखुआ जनपद हापुड़ उम्र करीब 27 वर्ष व 01 अभियुक्ता पूजा पत्नी स्व0 योगेश कुमार निवासी किरायेदार लोकेन्द्र चौधरी का मकान सरस्वती कॉलोनी ग्राम साहिबाबाद थाना लिंकरोड गाजियाबाद उम्र करीब 31 वर्ष को साहिबाबाद रेलवे ओवर ब्रिज के पास से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त आशीष पुत्र उपेन्द्र उपरोक्त के कब्जे से मृतक योगेश कुमार का मोबाइल फोन बरामद हुआ। गिरफ्तार अभियुक्त व अभियुक्ता के विरुद्ध पंजीकृत अभियोग की धारा 140(1), 103(1), 238, 61(2) बीएनएस में आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण:- गिरफ्तार अभियुक्त अशीष व अभियुक्ता पूजा उपरोक्त से पूछताछ करने पर यह तथ्य प्रकाश में आये कि अभियुक्त व अभियुक्ता के करीब 03 साल से प्रेम सम्बंध थे, जिसका योगेश अक्सर विरोध करता था तथा पूजा के साथ मारपीट भी करता था। मृतक दोनों अभियुक्त व अभियुक्ता के प्यार में बाधा बन रहा था। इसी बात को लेकर दोनों अभियुक्त व अभियुक्ता ने योगेश को रास्ते से हटाने की योजना बनाई, जिसके लिये अभियुक्त आशीष ने अपने दोस्त चन्द्रपाल व प्रवीन से बात की और अपनी योजना के बारे में बताया और हमारे साथ मिलकर योगेश की हत्या के लिये चन्द्रपाल व प्रवीन तैयार हो गये और योजना के अनुसार पूजा ने फोन करके योगेश को बताया कि मै चाँदपुर से आ रही हूं, तुम मुझे सरस्वती मेडिकल कॉलेज पिलखुआ पर मिल जाना वहां से आशीष के घर चलेंगे और पूजा ने योजना के अनुसार दिनांक 24.09.2025 को सरस्वती मेडिकल कॉलेज पिलखुआ हापुड़ पर अभियुक्त को बताया योगेश अपनी मोटर साइकिल से सरस्वती मैडीकल कॉलेज पर पहुचा गया और योजना के अनुसार अभियुक्त आशीष ने प्रवीण को रामलीला ग्राउण्ड पिलखुआ बुलाया जहां पर अभियुक्त आशीष तथा पूजा मिले वहां से रात्रि करीब 08.30 बजे आशीष तथा पूजा मिनी मैट्रो रिक्शे में बैठ कर सरस्वती कॉलेज पर आ गये तथा प्रवीण अपनी मोटर साइकिल से हमारे साथ-साथ आया रास्ते में चन्द्रपाल भी मिल गया। चन्द्रपाल, प्रवीण की मोटर साइकिल पर बैठकर सरस्वती कॉलेज पहुँचे थे कुछ देर बाद योगेश अपनी मोटर साइकिल से पंचर की दुकान के पास आया। वहां पर योगेश ने अभियुक्त आशीष को पूजा के साथ देखा तो नाराज होकर अभियुक्त आशीष से लडने लगा तब अभियुक्त आशीष व पूजा ने योगेश को पकड़ लिया और तभी मौका पाकर चन्द्रपाल ने योगेश की गर्दन पर लोहे की चाकूनुमा कटर से वार कर दिया जिसके बाद योगेश छूट कर जंगल की ओर भागने लगा। अभियुक्त आशीष तथा चन्द्रपाल पीछे

दौडे तभी पूजा ने कहा कि आज इसको छोड़ना मत जान से मार देना कुछ दूर जाकर अभियुक्त आशीष तथा चन्द्रपाल ने योगेश को पकड़ लिया और उसी चाकूनुमा कटर से उसकी गर्दन पर कई वार करके योगेश की हत्या कर दी तथा पूजा और प्रवीण आने जाने वाले लोगों को देखते रहे। उसके बाद योगेश की मोटर साइकिल को वही पर खडी छोड़ आये तथा योगेश की लाश को जंगल मे झाडियों के अन्दर छुपा कर वापस आ गये। वापस आकर अभियुक्त आशीष तथा चन्द्रपाल ने पूजा को बताया था कि योगेश की हत्या हमने कर दी है और उसकी लाश को जंगल में छुपा दिया है। किसी को पता नही चलेगा कि हत्या हमने की है। योगेश की हत्या के बाद चन्द्रपाल वही से पूजा से 5,000/- रुपये लेकर चला गया। हत्या में प्रयुक्त चाकूनुमा कटर चन्द्रपाल ने जंगल में कही छुपा दिया था। योगेश के मोबाइल फोन को अभियुक्त आशीष और पूजा अपने साथ लेकर प्रवीण की मोटर साइकिल से लालकुआ गाजियाबाद तक आये और प्रवीण दोनों अभियुक्त और अभियुक्ता को लालकुआ छोड़कर 1,500/- रुपये लेकर अपनी बहन के घर पिलखुआ वापस चला गया। जिसके बाद पूजा ने योगेश के गुमशुदा होने की रिपोर्ट थाना लिंकरोड़ पर लिखवायी थी। जिससे योगेश की हत्या करने का शक योगेश के परिवार वाले को पूजा या अभियुक्त आशीष पर न हो।

गिरफ्तार अभियुक्त व अभियुक्ता का नाम व पताः-

1. आशीष पुत्र उपेन्द्र सिंह निवासी ग्राम दौरऊ थाना डिबाई जिला बुलंदशहर हाल पता सर्वोदय नगर कस्बा व थाना पिलखुआ जनपद हापुड़ उम्र करीब 27 वर्ष।
2. पूजा पत्नी स्व0 योगेश कुमार निवासी किरायेदार लोकेन्द्र चौधरी का मकान सरस्वती कॉलौनी ग्राम साहिबाबाद थाना लिंकरोड गाजियाबाद उम्र करीब 31 वर्ष।

बरामदगी का विवरणः-

मृतक का मोबाइल फोन बरामद।

गिरफ्तार अभियुक्त व अभियुक्ता का आपराधिक इतिहासः-

गिरफ्तार अभियुक्त व अभियुक्ता उपरोक्त के विरुद्ध थाना लिंकरोड़ पर हत्या की घटना कारित करने के संबंध में 01 अभियोग पंजीकृत है। अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

थाना लिंकरोड पुलिस टीम।